दिनांक 7.06.2016 को पूर्वान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर में आयोजित "तहसील दिवस" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 7.06.2016 को पूर्वान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर में आयोजित "तहसील दिवस" का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री एम0पी0 वर्मा पुलिस अधीक्षक, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, श्री वी0के0 पाण्डेय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री पुनीत शुक्ल अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), श्री शशि भूषण राय उप जिलाधिकारी सदर, प्रतापगढ़ एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

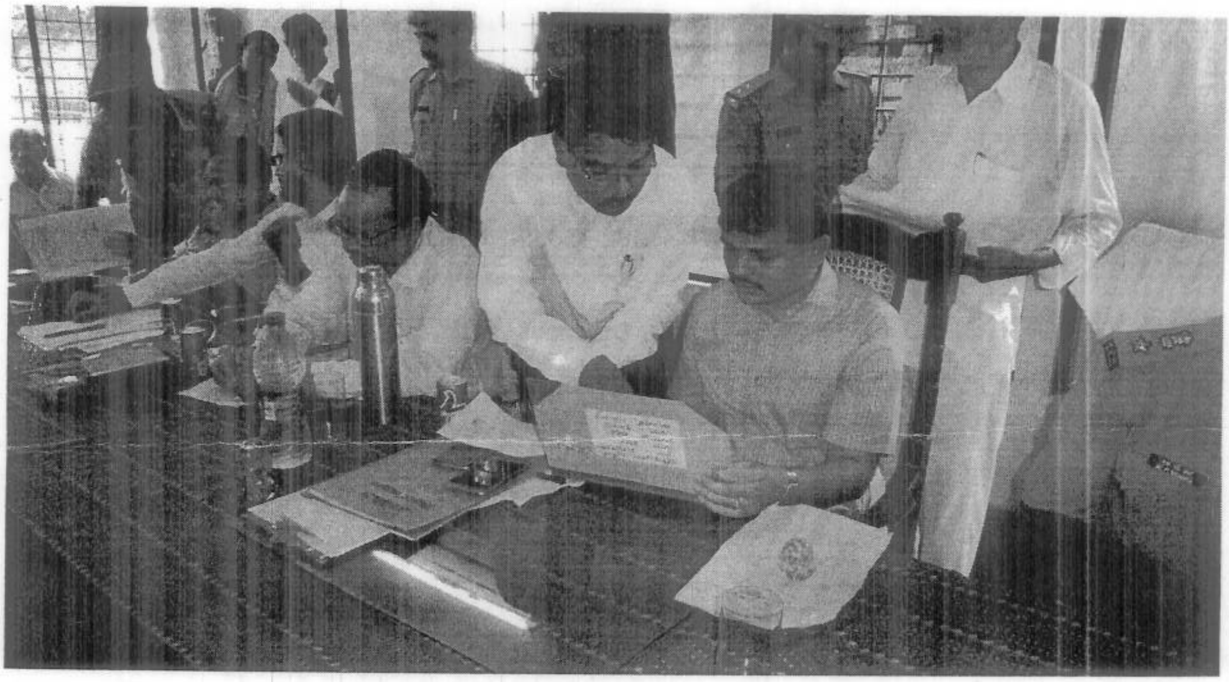

1. निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका अवलोकनोपरांत पाया गया कि सचिव मण्डी समिति, अधिशाषी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–51, भूमि संरक्षण अधिकारी (आई0डब्लू0एम0पी0) एवं सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड अनुपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया गया कि उक्त अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें। साथ ही प्रभारी अधिकारी अधिकारी तहसील दिवस को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से आगामी तहसीलों में शासनादेश के दिये गये विवरण के अनुसार समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को तहसील दिवस में नियत समय पर प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

2. तहसील दिवस के दौरान पूर्व में सम्पन्न तहसील दिवसों की निस्तारण आख्याओं के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तहसील दिवसों के जिन प्रकरणों को निस्तारित किया गया है, उनमें शिकायतों का शत–प्रतिशत मानक के अनुरूप निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तहसील दिवसों की निस्तारण आख्याओं का पर्यवेक्षण शासन स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है और गुणवत्तापरक निस्तारण न पाये जाने पर सम्बन्धित

—————2

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में स्वयं नियमित रूप से समीक्षा करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।

3. तहसील दिवस के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों एवं उनके निस्तारण आख्याओं की फीडिंग का कार्य सम्बन्धित वेबसाइट पर अत्यन्त ही धीमी गति से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तहसील दिवस में प्राप्त आवेदन–पत्रों एवं उनके निस्तारण आख्याओं की नियत समय–सीमा के भीतर फीडिंग करने के निर्देश शासन स्तर से हैं, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त के सम्बन्ध में ससमय कार्यवाही नहीं की जाती है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस/समस्त उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में स्वयं के पर्यवेक्षण में नियमित रूप से ससमय फीडिंग कराना सुनिश्चित करें।

4. आज दिनांक 7.06.2016 को तहसील दिवस के दौरान प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का विभागवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	विभाग का नाम	प्राप्त प्रार्थना–पत्र	निस्तारित	अवशेष
1	राजस्व विभाग	110	03	107
2	पुलिस विभाग	78	02	76
3	विकास विभाग	30	01	29
4	समाज कल्याण विभाग	22	–	22
5	शिक्षा विभाग	08	–	08
6	स्वास्थ्य विभाग	02	–	02
7	अन्य विभाग	73	–	73
	योग–	323	06	317

उपरोक्त प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना–पत्रों में उल्लिखित शिकायतों के कम में स्थल पर जाकर गुणवत्तापरक नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में स्वयं अनुश्रवण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–13, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या : 45/6–पु–13– 2016 दिनांक 23 जनवरी 2016 के अन्तर्गत समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली **(IGRS)** जन सुनवाई के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्राप्त जन–शिकायतों एवं मा0 मुख्यमंत्री जी कार्यालय, तहसील दिवस आदि विभिन्न स्तरों से प्राप्त समस्त शिकायती–पत्रों की फीडिंग व इंडोर्समेन्ट एवं आख्या कम्प्यूटर व्यहृत साफ्टवेयर पर की जानी है। तत्सम्बन्ध में समस्त

सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी निर्गत किया गया, परन्तु यह देखा जा रहा है इसका समुचित अनुपालन नहीं हो पा रहा है। तत्सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व निर्दिष्ट निर्देशानुसार शिकायतों के निस्तारण की आख्याएं **(IGRS)** वेबसाइट पर ही व्यहृत कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता व होने पाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या :1128/शिविर–2016 दिनांक : जून 08, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रतापगढ़।
6. मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर, प्रतापगढ़।
8. अन्य समस्त सम्बन्धित, प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।